Seventeenth Loksabha

an>

Title: **Regarding request to implement Uniform Civil Code in the country.**

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी का ध्यान देश में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किए जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश और समाज को सैंकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी और अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानूनों से न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसके साथ ही देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।

महोदय, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्य श्री के.एम.मुंशी भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कानून के समर्थक थे। हाल ही में दिल्ली एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की है।

महोदय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द समाहित है। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक भावनाओं के आधार पर विभाजित करने के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Manne Srinivas Reddy – Not present.

Shri Om Pavan Rajenimbalkar.